गांधीजी एवं आंबेडकर का राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महान हस्ताक्षर

डॉ.कीर्ति भारद्वाज
सहा. प्राध्यापक इतिहास
शा. महा.नामली
जिला रतलाम मध्य प्रदेश

भूमिका :-

विश्व जनमानस में प्रसिद्ध महान समाज सुधारक महान राजनीतिज्ञ जैसी विभूतियों का जन्म भारत में हुआ जो देश के लिए गौरवशाली है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत रत्न डॉ. बाबा भीमराव आंबेडकर एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की गई है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में महार जाति के दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 में हुआ, इनके पिता का नाम राम जी मालोजी सतपाल एवं माता का नाम भीमाबाई था। इनके पिता तत्कालीन भारत के महू छावनी में ब्रिटिश सेना की सेवा में थे । प्रारंभ से ही उनके परिवार एवं इन्हें समाज में फैली हुई जाति प्रथा से शोषित होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा में उनको समाज के उच्च वर्गों के शोषण का शिकार होना पड़ा फलत: इनकी शिक्षा भी इसी कारण प्रभावित हुई । वह उच्च शिक्षा प्राप्त बैरिस्टर कानून के जानकार महान अर्थशास्त्री एवं महान समाज सुधारक थे ।[1]

इसी संदर्भ में 2 अक्टूबर 1869 को भारत की महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ । इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था । प्रारंभिक शिक्षा होने के पश्चात् उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे लंदन गए व जून 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे।[2]

आंबेडकर और गांधी का भारत में ऐसे समय समाज में पदार्पण हुआ जिस समय समाज में छुआछूत अस्पृश्यता और गुलामी की जंजीरों से देश जकड़ा हुआ था। तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अथक प्रयास इनके द्वारा किए गए। गांधी और आंबेडकर के विचारों में असमानता होते हुए भी भारत की राजनैतिक स्थिति को गंभीरता से प्रभावित किया ।[3]

सामाजिक संदर्भ में आंबेडकर का दृष्टिकोण:-

भारतीय समाज व्यवस्था में अस्पृश्यता एवं जाति प्रथा को महारोग माना गया और इस बुराई को हटाने के लिए संकल्पपूर्वक प्रयास किए गये। डॉ. आंबेडकर ने समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा जैसी कुरीतियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने गांधी से इसी संदर्भ में कहा कि "हमें मंदिर प्रवेश के आंदोलन में हिस्सा लेने की बजाए चातुर्वर्ण्य को समाप्त करने का अथक प्रयास करना चाहिए चातुर्वर्ण्य समाप्त हो जाएगा तो अस्पृश्यता जैसी समाज में व्याप्त बुराई स्वत: ही समाप्त हो जाएगी" ।

डॉ. आंबेडकर को अस्पृश्यता सामाजिक सांस्कृतिक रूप में बचपन से ही मिली थी यह उनके लिए ऐसा बोझ था जो संपूर्ण जीवन तक झेलना पड़ा । आंबेडकर ने इस अन्याय पूर्ण सामाजिक विवशता के विरुद्ध आवाज उठाई और संपूर्ण शक्ति के साथ इसे हटाने का प्रयास किया। डॉ. आंबेडकर का यह मानना था कि जातिवाद, अस्पृश्यता के कारण ही भारत में राष्ट्र एकता की भावना विकसित नहीं हो पायी इसी के फलस्वरूप भारत देश लंबी अवधि तक गुलामी का शिकार रहा । इनका मानना था कि देश शक्तिशाली और विकसित तभी बन सकता है जब इन सामाजिक बुराइयों से देश पूरी तरह से मुक्त न हो जाए,[4] क्योंकि विषमता हमारे समय की एक अत्यंत गंभीर समस्या है । सामाजिक विषमताएँ पूर्ववर्ती समाजों में थी परंतु सामाजिक विषमताओं के संबंध में विभिन्न समाजों के दृष्टिकोणों में काफी अंतर हुआ करता था। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने सामाजिक सुधार तथा अस्पृश्यता के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसी संदर्भ में अनेक रचनाएं लिखी जैसे- जाति विनाश, शुद्ध कौन, अस्पृश्यता बुद्ध और उनका धम्म इत्यादि। उन्होंने अछूतों को समझाया कि मानव-मानव समान हैं उनके साथ भेदभाव करना अमानवीय है। डॉ. आंबेडकर जब विदेश उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए थे तब उन्होंने वहां यह अनुभव किया कि न यहां छुआछूत है ना ही जाति के आधार पर भेदभाव, तब उन्हें एहसास हुआ कि लोकतांत्रिक संरक्षण हेतु सभी मानव जाति समान है। डॉ. आंबेडकर का सपना था कि देश को स्वतंत्र करना ही नहीं, बल्कि देश को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना था जिससे प्रत्येक देशवासी स्वतंत्र रूप से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सके।[5]

सन् 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाकर दलित शोषित वर्ग जो समाज से उपेक्षित था उनके हित के लिए आवाज उठाई और न्याय दिलाने का प्रयास भी किया । 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में डॉ. आंबेडकर ने दलित प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू-मुसलमान ही नहीं बल्कि एक ऐसा वर्ग निवासरत है जो कहने के लिए हिंदू है पर उनके अधिकार सीमित हैं वह मंदिर में प्रवेश के हकदार नहीं हैं ना ही धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने के। यह वर्ग देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है पर उनके साथ शोषण समाज के द्वारा किया जाता है यह वर्ग संपूर्ण मानवाधिकारों से वंचित है। अतः इस शोषित वर्ग को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।[6]

डॉ. आंबेडकर यह जानते थे कि समाज परिवर्तन में देश की नारियों की क्या भूमिका हो सकती है इसलिए उन्होंने सन् 1942 में शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (अनुसूचित जाति संघ) के अधिवेशन में 20 हजार अस्पृश्य महिलाओं का आह्वान किया था और कहा था आप स्वच्छ रहिए दुर्गुणों से दूर रहिए, अपनी संतान को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें भी समाज व देश में विकास का भागीदार बनाएं। बाबा साहेब का दलितों के उद्धार का कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहा। इस आंदोलन से उनके व्यक्तित्व का प्रकटीकरण हुआ।[7]

राजनैतिक संदर्भ में आंबेडकर का दृष्टिकोण:-

डॉ. आंबेडकर ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अपने विचारों के माध्यम से यह आवश्यक माना कि जब तक चातुर्वर्ण्य (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) को पूरी तरह से समाप्त न कर दिया जाए तब तक स्वतंत्र लोकतंत्र की कल्पना करना सार्थक नहीं होगा ।

डॉ. आंबेडकर उदारवादी, राजनीतिक दर्शन से प्रेरित स्वतंत्रता समानता और मातृत्व के सिद्धांतों को राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते थे । आंबेडकर की प्रशासनिक व्यवस्था में आस्था थी। प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए वे स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे। स्वतंत्रता की दृष्टि से उन्होंने व्यक्ति को कुछ अधिकार देने की बात कही थी ताकि समाज में स्वतंत्रता का विचार वास्तविक रुप से चरितार्थ हो सके। राजनीतिक दृष्टिकोण से वे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे इसी के कारण उन्होंने संसदात्मक व्यवस्था में स्वतंत्र चुनाव तथा राजनीतिक दलों का समर्थन किया।

डॉ. आंबेडकर का दर्शन व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तित्व के सिद्धांत पर आधारित था। यह सिद्धांत प्रजातंत्र का आधार स्तंभ भी माना जाता है इनके अभाव में प्रजातंत्र वास्तविकता में परिणित नहीं हो सकता। डॉ॰ आंबेडकर ने संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का संचालन महत्वपूर्ण माना। राजनीतिक दलों में विरोधाभावों को भी विशेष महत्व दिया उनका मानना था कि विरोधी दल के अभाव में कार्यपालिका निरकुंश हो सकती है।[8]

भारतीय संविधान के लिए प्रस्तावित धाराओं से उनके विचार और स्पष्ट हो जाते हैं और इसी कारण आंबेडकर को 1947 में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान में प्रशासनिक प्रावधानों की विस्तारपूर्ण व्यवस्था पर अधिक जोर दिया । इसी तरह आंबेडकर ने विधि की भूमिका पर अधिक बल दिया उनके अनुसार विधि समानता और स्वतंत्रता की पहरेदार है। विधि समाज व्यवस्था में शांति स्थापित करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों में परस्पर बंधुत्व का वातावरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।[9]

सामाजिक संदर्भ में गांधीजी का दृष्टिकोण:-

गांधी और आंबेडकर अलग-अलग परिवेश से आए थे गांधी जी जन्म से सवर्ग थे जबकि आंबेडकर जन्म से अस्पृश्य थे। जन्म से ही आंबेडकर अस्पृश्य एवं छुआछूत से शोषित होते आए जबकि, दक्षिण अफ्रीका में गांधी को अस्पृश्यता का अनुभव तब हुआ जब मारितस्वर्ग स्टेशन पर हुई घटना ने गांधी का कायाकल्प किया वैसे ही घटनाएं भारतीय समाज व्यवस्था में वर्षो से चली आ रही थी। भारत में अछूतों की स्थिति की असमानता को पहली बार अनुभव किया।[10] भारत आने पर उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाई। गांधीजी मनुष्य जीवन में नैतिक गुणों के विकास को महत्वपूर्ण मानते थे।[11]

महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और देश के अधिकांश नेताओं को इस संघ से जोड़ा। गांधी के संवेदनशील मन में अन्याय-पीड़ित अछूतों के प्रति गहरी सहानुभूति रही। अस्पृश्यता के संबंध में भी गांधी का यही दृष्टिकोण था वह स्वयं को स्पृश्य और अस्पृश्य में भेद करते ही नहीं थे वरन् उनके आश्रमों में निवासरत को अन्य व्रतों के साथ 'स्पर्श भावना' व्रत का संकल्प लेना पड़ता था।[12]

गांधीजी व्यक्ति को आदर्शों एवं मूल्यों का निर्माता तथा वाहक मानते थे और समाज के विकास कार्यों में व्यक्ति की भूमिका अहम् मानते थे। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति का बौद्धिक विकास अच्छा नहीं हो सकता तब तक समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

गांधीजी जानते थे कि कमजोर वर्गों के उत्थान के बिना स्वतंत्रता की प्राप्ति सार्थक नहीं हो सकती। गांधीजी अछूतों को हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग समझते थे और इस संदर्भ में उनका कथन था की अस्पृश्यता व उसकी अन्य समस्याएं उनकी स्वयं की नहीं बल्कि हिंदू समाज की समस्याएं हैं। हिंदू समाज में परिवर्तन एवं समाज की उन्नति चाहते हैं तो अछूतों की समस्या को हल करना होगा। अछूतों को गांधीजी हरिजन (हरि के जन) कहते थे। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में मंदिरों की भूमिका के महत्व को समझते हुए गांधी जी ने हरिजनों के मंदिर में प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया ।[13]

दक्षिण अफ्रीका गांधी के लिए पाठशाला भी थी और प्रयोगशाला भी। वहां के असहाय भारतीयों की समस्याओं के समाधान का हल खोजने में ही गांधी जी को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे की असहाय भारतीय की मुक्ति का मार्ग लोगों की समस्याएं हल करने में है। भारत में गांधी ने स्वराज की मांग को खादी–प्रचार, हिंदू–मुस्लिम बंधुत्व और अस्पृश्यता के समाधान से जोड़ा। इस संदर्भ में कहा कि "मैं अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं कर सकता हिंदू समाज का कर्तव्य है कि वह अस्पृश्यता को दूर करने के लिए भारी तपश्चर्या करें।[14]

राजनैतिक संदर्भ में गांधीजी का दृष्टिकोण:–

देश के राजनैतिक चिंतन में महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के व्यवहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया। गांधीजी 1914 में भारत लौटे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके द्वारा भारत की स्थिति का गहन अध्ययन किया गया, अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की जो सत्याग्रह का प्रतीक बन गया। तत्पश्चात कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी भेंट हुई वे उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे फलतः गांधी जी ने उनको राजनैतिक गुरु माना।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों के हित में भारतीयों को मदद करने के लिए आह्वान किया किंतु, जल्दी ही अंग्रेजों की नीतियों से उनका मोहभंग हो गया। उन्होंने सर्वप्रथम बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले कृषकों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया यह आंदोलन चंपारण क्षेत्र के किसानों के हित में रहा। इस तरह उनका भारतीय राजनीति में प्रवेश होने का संकेत था इसके पश्चात् एक के बाद एक आंदोलन ब्रिटिश भारत में उनके द्वारा चलाए गए। गांधीजी अहिंसा में अत्यधिक विश्वास रखते थे 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस समय तक वे भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हो चुके थे अतः उन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी का राजनैतिक चिंतन विशेष महत्व रखता है उनका दर्शन बहुमुखी है ।[15] यद्यपि उनके विचार पाश्चात्य विद्वानों की तरह क्रमबद्ध नहीं किंतु अनेक विद्वान उन्हें उच्च कोटि का राजनीतिक विचारक मानते हैं वह जीवन में सत्य की खोज और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देते रहे। उनके विचारों में क्रमबद्धता ना होने के कारण अनेक विद्वानों ने उन्हें राजनीतिक विचारक मानने से इंकार किया किंतु, वर्तमान में और आने वाले भविष्य में उनके राजनीतिक विचारों को स्वीकार किया जाएगा। उनके दर्शन को गांधीवाद नामों से जाना जाता है फलत: उनके राजनीतिक विचारक होने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। जीवन भर प्रयोग किए सिद्धांत ही उनकी राजनीतिक विचारधारा है विश्व और भारत के संदर्भ में गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण

देन राजनीति का आध्यात्मिकी करण करना है । उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच सेतु का निर्माण किया है और राजनीति को धर्म पर आधारित नि:स्वार्थ लोक सेवा व नैतिकता के विकास का साधन बनाया, वे छल कपट पूर्ण राजनीति की निंदा करते थे ।[16]

उन्होंने राजनीतिक विकृत रूप अर्थात् धर्म की राजनीति के बारे में कहा "यदि मैं राजनीति में प्रवेश करता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि राजनीति हम सब को जहरीले सर्प के समान घेरे हुए है मैं उस सर्प से युद्ध करना चाहता हूं व राजनीति में धर्म का समावेश करना चाहता हूं।

निष्कर्ष : –

प्रस्तुत शोध पत्र में गांधीजी व डॉ॰ आंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचारों का गहन अध्ययन किया गया है। दोनों ही महान व्यक्तित्व के धनी थे जिनकी विचारों ने आधुनिक भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां एक ओर डॉ॰ आंबेडकर दलित परिवार से थे वहीं दूसरी ओर गांधीजी संपन्न परिवार से थे दोनों ने ही तत्कालीन भारत की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति का जीवन भर अनुभव किया, समाज में फैली हुई छुआछूत जैसी बुराई के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और समाज को एक नई दिशा दी ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मकवाणा, किशोर, डॉ॰ आंबेडकर आयाम दर्शन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2019
2. गांधी, मो.क. अनु. त्रिवेदी, काशीनाथ, सत्य के प्रयोग आत्मकथा, नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद, सन् 2005
3. मंत्री, गणेश, गांधी और आंबेडकर, प्रभात प्रकाशन दिल्ली सं. 2018
4. वही
5. मकवाणा, किशोर, डॉ॰ आंबेडकर राष्ट्र दर्शन, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, 2019
6. मंत्री, गणेश, गांधी और आंबेडकर, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, सं. 2018
7. मकवाणा, किशोर, डॉ॰ आंबेडकर व्यक्ति दर्शन, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, सं. 2019
8. सामाजिक न्याय संदेश, बाबासाहेब डॉ॰ आंबेडकर 125 वी जयंती विशेषांक, अंक 4 अप्रैल 2015 संपादक- सुधीर हिल सायन, नई दिल्ली
9. मकवाणा, किशोर, डॉ॰ आंबेडकर जीवन दर्शन, प्रभात प्रकाशन दिल्ली,2019
10. मंत्री, गणेश, गांधी और आंबेडकर, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, सं. 2018
11. सेठी, जे.डी., गांधी टुडे, विकास पब्लिकेशंस दिल्ली, 1978
12. मंत्री, गणेश, गांधी और अंबेडकर, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, 2018
13. गांधी समग्र विचार दर्शन विशेषांक, संपादक-भाषा केंद्रीय हिंदी निदेशालय, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली, अंक 281 नंबर दिसंबर 2018.
14. देसाई, महादेव महादेव भाई की डायरी, भाग 2 व 3, नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद
15. गांधी, मो.क., अनुवादक भारतन कुमारप्पा, गांधी की संक्षिप्त आत्मकथा, अहमदाबाद, 2007
16. रामरतन एवं शारदा शोभिका महात्मा गांधी की राजनैतिक अवधारणा, कलिंगा प्रकाशन, नई दिल्ली